

नई दिल्ली

4 जनवरी 2020

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बयान

उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक बदनाम करने का अभियान शुरू किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों पर रोक लगाने और उसके सदस्यों को दबाने की साजिश जारी है। इसके लिए वे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के पास होने के बाद से देश की बदली विशेष परिस्थितियों का उपयोग कर रहे हैं।

संविधान-विरोधी और भेदभावपूर्ण कानून सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करने का लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार और आज़ादी है, जिसकी ज़मानत संविधान उन्हें देता है। लेकिन इसे एक अपराध की तरह देखा जा रहा है और इसके खिलाफ तानाशाही कार्यवाहियां की जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनों के बारे में सांप्रदायिक टिप्पणी की, वहीं योगी आदित्यनाथ ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस को बढ़ावा दिया। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रदर्शन देशभर में हुए, लेकिन केवल बीजेपी शासित राज्यों में लोगों से उनके विरोध प्रदर्शन के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 27 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के इस भेदभावपूर्ण रवैये से विशेष रूप से यूपी में गंभीर अत्याचार और मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। हैरान करने वाली रिपोर्टें और वीडियो आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में घरों, गाड़ियों और दुकानों पर हमला कर रही है। एक दूसरी शर्मनाक घटना यह भी सामने आई है कि पुलिस की हिरासत में मदरसे के छात्रों पर यौन हमला किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बारे में कई फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं।

हकीकत यह है कि प्रदर्शनों का यह सिलसिला अचानक शुरू हुआ है और सीएए को खारिज करने के लिए भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए सड़कों पर कदम रखा है। प्रदर्शनों के दौरान हिंसा पुलिस और हिंदुत्व गैंग ने की। यूपी के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि वे प्रदर्शनकारियों से बदला लेंगे और अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक बदला लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खून-खराबे में यूपी सरकार और हिंदुत्व गुंडों का रोल जगज़ाहिर है। इसलिए वे प्रदर्शनों में शामिल लोगों और संगठनों पर सारा आरोप डालकर अपना दामन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने फर्जी आरोपों के तहत गैर कानूनी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। अब पुलिस की पूरी कार्यवाही फर्जी साबित हुई है क्योंकि ऐसी खबरें मिली हैं कि पुलिस ने मरे हुए लोगों पर भी आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस के अत्याचार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूपी पुलिस और सरकार अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर निशाना साध रही है। पॉपुलर फ्रंट की प्रदेश कमेटी के कन्वीनर वसीम अहमद और कमेटी के अन्य सदस्यों का अशफाक और मोहम्मद नदीम को हिंसा की योजना बनाने के फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यह कार्यवाही प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोप की एक कड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी अशुभ घटनाओं के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। पुलिस और यूपी के मंत्री हिंसा में पॉपुलर फ्रंट के शामिल होने के बड़े-बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे कोई भी सबूत पेश करने में असफल साबित हुए हैं। पुलिस बार-बार यह कह रही है कि उन्हें संगठन के कार्यालय से "उग्र" और "भड़काऊ" साहित्य मिले हैं, लेकिन अब तक वे यह नहीं बता पाए हैं कि क्या उग्र और भड़काऊ है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे संगठन के पदाधिकारियों और

दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बहुत जल्द अदालत से रिहा किया जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस उन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह असफल होगी।

यह भी बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने केंद्र से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हम इस कदम की निंदा करते हैं, जो कि 'अपने किरदार पर पर्दा डालने' के सिवा कुछ नहीं है। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ यह कदम राज्य में लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ योगी पुलिस का एक और तानाशाही कदम है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम पर लगाए गए सभी आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। पॉपुलर फ्रंट जैसे किसी जन-आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने का सख्त कदम उठाने के लिए केंद्र या राज्य के पास कोई कानूनी आधार नहीं है। उल्लेखनीय है कि पॉपुलर फ्रंट पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब काफी पुराने हैं और सालों से अब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। पॉपुलर फ्रंट देश की दूसरी जगहों की तरह राज्य के अंदर भी लोगों के बीच खुले तौर पर काम कर रहा है और हम अपने खिलाफ लगाए गए हर आरोप के बारे में हर तरह की निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं। पॉपुलर फ्रंट को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम बीजेपी और आरएसएस की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ अटल स्टैंड रखते हैं। पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने की मुहिम दरअसल देश की सभी विरोध की आवाजों के लिए वार्निंग है। इसलिए हम देश की सभी लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करते हैं कि वे आगे आएँ और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत के संविधान और देश की महान लोकतांत्रिक संस्कृति पर मजबूत विश्वास रखता है। हम हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें बदनाम करने वाले ऐसे अभियानों से हमें इस रास्ते से कभी रोका नहीं जा सकता। हम इस राजनीतिक इंतकाम के खिलाफ कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाई लड़ेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पदाधिकारी:

ओ.एम.ए. सलाम, उप-चेयरमैन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

अनीस अहमद, सचिव, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

ए.एस. इस्माईल, अध्यक्ष नॉर्थ ज़ोन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

परवेज़ अहमद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

डॉ. मोहम्मद शमून, पीआर डायरेक्टर, मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया